मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006

क्र. 2–5519–2006–अठारह–2ए दिनांक 12 जनवरी, 2008.– मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 तथ्ज्ञा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 36 सन् 1961) की धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों हेतु निकायों को अनुदान स्वीकृत करने बाबत निम्नलिखित नियम बनाती है.–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.– मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006 कहलायेंगे ।

2. परिभाषाएं.–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है नगरपालिक निगमों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) ''नगरीय निकायों'' से अभिप्रेत है नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत से है;

(ग) ''मंत्रिपरिषद'' से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा गठित केबिनेट स्तर के मंत्रिपरिषद से है;

(घ) ''सचिव'' से अभिप्रेत सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास से है ;

(ड.) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत सचिव, नगरीय प्रशासन संचालनालय से है;

(च) ''मूलभूत सुविधाएं (वाणिज्यिक कर),राज्य वित्त आयोग सड़क मरम्मत की राशि'' से प्राप्त कर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वसूल की गई राशि में से नगरीय निकायों को दिये जाने वाली अंशदान की राशि से है;

(छ) ''निधि'' से अभिप्रेत मूलभूत सुविधाएं (वाणिज्यिक कर), राज्य वित्त आयोग और सड़क अनुरक्षण मद से प्राप्त कुल राशि में से 10 प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर अलग रखे कोष से है;

(ज) ''बजट'' में अभिप्रेत इन मदों यथा, मूलभूत सुविधाएं (वाणिज्यिक कर), राज्य वित्त आयोग और सड़क अनुरक्षण मद से विभागीय बजट में प्रावधानित राशि से है;

(झ) ''उपयोगिता प्रमाण–पत्र'' से अभिप्रेत आवंटित राशि के उपयोग पश्चात भेजे जाने वाले निर्धारित प्रमाण–पत्र से है;

(ञ) ''निधि का परिचालन'' से अभिप्रेत गठित समिति द्वारा निकायों को निधि में से राशि आवंटन से है ।

3. **आवंटित निधि का उद्देश्य.–** इस निधि का गठन, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) द्वारा या उनके अधीन सौंपे गये अनिवार्य और एच्छिक कर्तव्यों के निर्वहन में नगरीय स्थानीय निकायों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से किया गया है. यह विनिश्चित किया गया है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शीर्षक ''मूलभूत सेवायें (वाणिज्यिक कर, राज्य वित्त आयोग तथा सड़कों का पुर्ननिर्माण)'' के अधीन बजट में उपलब्ध कराई गई निधि में से 20% (बीस प्रतिशत) राशि राज्य स्तर पर रखी जाय तथा शेष राशि, विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा किए गऐ विनिश्चय के अनुरूप नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित की जाय. उस निधि में से, जो कि राज्य स्तर पर रखी गयी है. 10% (दस प्रतिशत) राशि विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये व्यय की जायेगी तथा वर्ष के अंत में यदि फिर भी कोई राशि बची रहती है तो वह राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को आवंटित कर दी जायेगी. निधि की शेष 10% (दस प्रतिशत) राशि ''नगरीय अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत छोटे तथा मध्यम शहरों के लिये कार्यान्वित की जा रही, निर्माणाधीन जल आपूर्ति योजनाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों की अपूर्ण नगरीय जल आपूर्ति योजनाओं के लिये अपेक्षित अतिरिक्त लागत की पूर्ति करने के लिये राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी ।

4. **निधि का परिचालन.–** निधि के अंतर्गत राशि का आवंटन एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास होंगे।

5. **बजट.–** नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निधि की 20% (बीस प्रतिशत) राशि आरक्षित रखी जाएगी जो कि नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के गैर योजना बजट प्रावधान में उपलब्ध कराई गई है. जिसमें तीन उपशीर्ष है यथा मूलभूत सेवाएं (वाणिज्यिक कर पर 10% अधिभार) राज्य वित्त आयोग तथा सड़कों का पुर्ननिर्माण तथा मरम्मत अंर्तविष्ट है.

इस आरक्षित निधि में से 10% (दस प्रतिशत) राशि स्थानीय नगरीय निकायों को आकस्मिक या विशेष आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिये आरक्षित रखी जायेगी तथा निधि की शेष राशि ''नगरीय अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत छोटे तथा मध्यम शहरों के लिये कार्यान्वित की जा रही निर्माणाधीन जल आपूर्ति योजनाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों की अपूर्ण नगरीय जल आपूर्ति योजनाओं के लिये अपेक्षित अतिरिक्त लागत की पूर्ति करने के लिये, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यय की जाएगी ।

6. **निधि से व्यय.– (1)** नगरीय निकायों को निधि से राशि निम्नानुसार दी जायेगी.–

(i) नगरीय निकायों को इस निधि से राशि स्वीकृति हेतु विधिवत सुस्पष्ट प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(ii) एक वर्ष की कालावधि के दौरान नगर परिषद को अधिकतम् 50 लाख रूपये तथा नगरपालिका तथा नगर निगम को अधिकतम् एक करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी. नगर निगम, भोपाल को, उसकी राज्य की राजधानी की विशेष हैसियत पर विचार करते हुए अधिकतम् दो करोड़ रूपये की राशि दी जायेगी ।

(iii) विशेष अनुदान यथा संभव एक मुश्त दिया जायेगा लेकिन प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा यह राशि एक से अधिक किश्तों में दी जा सकेगी ।

(iv) इस निधि से दी जाने वाली राशि संचालनालय के विवेकाधीन होगी और यह नगरीय निकायों का अधिकार नहीं होगा ।

(v) यह आवश्यक नहीं है कि नगरीय निकायों को प्रतिवर्ष इस निधि से सहायता उपलब्ध कराई जाय और न ही एक बार दी गई राशि का भविष्य में उदाहरण माना जायेगा ।

(vi) निधि से दी गई राशि का उपयोग मुख्यतः स्थाई संपत्तियों के निर्माण तथा मूलभूत सुविधा के अन्य अत्यावश्यक एवं आकस्मिक कार्यो के लिये किया जायेगा ।

(vii) राज्य स्तर पर रखी गई निधि की 20%(बीस प्रतिशत) राशि में से 10% (दस प्रतिशत) राशि आकस्मिक एवं विशेष आवश्यकताओं के लिये उपरोक्त खण्ड (i) से (vi) तक में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तो के अधीन आवंटित की जायेगी. निधि की शेष 10% (दस प्रतिशत) राशि ''नगरीय अधोसंरचना विकास योजना'' के अंतर्गत छोटे तथा मध्यम शहरों के लिये कार्यान्वित की जा रही, निर्माणाधीन जल आपूर्ति योजनाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों की अपूर्ण नगरीय जल आपूर्ति योजनाओं के लिये अपेक्षित अतिरिक्त लागत की पूर्ति करने के लिये, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी ।

(2) स्वीकृत राशि जिस वित्तीय वर्ष में देय है उसका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में करना आवश्यक होगा ।

(3) इस राशि से अनुदान एक ही बार देय होगा अर्थात् प्रतिवर्ष इसकी आवृत्ति नहीं होगी ।

(4) राशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गई है ।

(5) संबधित नगरीय निकाय का आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्वीकृत राशि के लिये नियत प्रयोजन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(6) स्वीकृत राशि का अधिकतम् एक वर्ष की सीमा में उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि निकाय को राज्य शासन के कोष में जमा करनी होगी ।

7. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र.–** आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी विशेष निधि मद से राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस प्रकार आवंटित राशि के उपयोग पूर्ण हो जाने के 30 दिन के भीतर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

8. **निधि का लेखा**.– निधि से स्वीकृत योजना की राशि एक पृथक खाते में रखी जायेगी और नगरीय निकाय इस राशि का पृथक से लेखा भी संधारित करेगी ।

————————